भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

22 माघ, 1942 (शक)

'आरोग्य सेतु ओपन एपीआई' का एक्सेस

1185. श्रीमती फूलो देवी नेतम :
श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :
श्री दिग्विजय सिंह :
डा. अमी याज्ञिक :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उन कंपनियों की सूची प्रदान करने से मना कर दिया है जो आरोग्य सेतु ओपन एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) एक्सेस कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो आरोग्य सेतु ओपन एपीआई को एक्सेस करने वाली कंपनियों की सूची तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित इंट्रिग्रेशन सर्विस प्रोवाइड्रस (समाकलित सेवा प्रदाताओं) की सूची क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सेवाओं का प्रयोग कर रही कंपनियों के साथ कोई समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : जी, हाँ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ऐसे संगठनों की सूची प्रदान करने के लिए एक आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुआ था जिन्होंने आरोग्य सेतु ओपन एपीआई के लिए पंजीकरण किया है। अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया।

(ख): संगठनों का विवरण साझा करना आरोग्य सेतु की गोपनीयता नीति का उल्लंघन है।

(ग): बिंदु (क) के अनुसार लागू नहीं।

(घ): आरोग्य सेतु ऐप निम्नलिखित सेवाओं के साथ इंटरफेस करता है:

- ई-पास - लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए प्रयोगकर्ताओं को जारी किए गए ई-पास को प्रदर्शित करने के लिए
- आयुष्मान भारत - आईवीआरएस आधारित टेलीफोनिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए
- आईसीएमआर - कोविड -19 परीक्षण और आंकड़ों पर डेटा के लिए

(ड.): जी, हाँ।

(च): ओपन एपीआई सेवा शर्तों का पालन करने के लिए ओपन एपीआई सेवा समझौते के लिए पंजीकरण करने वाले संगठन। आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सेवा की शर्तें https://openapi.aarogyasetu.gov.in/tandc पर उपलब्ध हैं।

****